बिहार सरकार

ब्रेडा - थारू महिला स्वयं सहायता समूह - सोलर लैंटर्न वितरण की योजना

ऊर्जा विभाग

बिहार सरकार

बिहार रिन्युएबुल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (ब्रेडा) को अपारंपरिक ऊर्जा श्रोत सहायक अनुदान के अंतर्गत थरूहट क्षेत्र में थारू महिला स्वयं सहायता समूह (मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अंतर्गत गठित थारू समूह) के सदस्यों को सोलर लैन्टर्न वितरण की योजना एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में 60.00 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

थरूहट क्षेत्र में थारू महिला स्वयं सहायता समूह (मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अन्तर्गत गठित थारू समूह) के सदस्यों को सोलर लैन्टर्न वितरण की योजना।

(1) प्रस्तावः—

तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के आयुक्त का पत्रांक 649 दिनांक 21.11.2009 तथा जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया क पत्रांक 221 दिनांक 14.04.2010 से थरूहट क्षेत्र में कुल 60415 बी॰ पी॰ एल॰ परिवारों को एक—एक सोलर लैन्टर्न एवं 267 गाँवों में 6 अदद सोलर स्ट्रीट लाईट प्रति ग्राम (कुल 1602 अदद) उपलब्ध कराने के लिए ऊर्जा विभाग के माध्यम से कार्रवाई हेतु ब्रेडा को उपलब्ध कराया गया। इस क्रम में ब्रेडा के पत्रांक 165 दिनांक 02.02.2010 द्वारा करीब 17 करोड़ रुपये की योजना का प्रस्ताव प्रशासी विभाग को भेजा गया था। जिसके आलोक में 1300.00 लाख का योजना उपबंध ऊर्जा विभाग के पत्रांक 1491 दिनांक 07.04.2010 द्वारा ब्रेडा को संसूचित हुआ। वर्णित योजना की स्वीकृति वर्ष 2010—11 में ऊर्जा विभाग ज्ञापांक 294 दिनांक 21.01.2011 द्वारा दी गई थी, परन्तु राशि निर्गत नहीं होने की स्थिति में योजना के कार्यान्वयन का प्रस्ताव वर्ष 2011—12 के लिये उपस्थापित है।

दिनांक 22.04.2010 को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में थरूहट क्षेत्र के विकास हेतु राज्य स्तर पर गठित अनुश्रवण, मूल्यांकण एवं कार्यान्वयन सम्बन्धी समिति की बैठक की कार्यवाही की कंडिका 3 में सोलर लैम्प उपलब्ध कराने की योजना के संबंध में यह निर्णय लिया गया था कि महिला विकास निगम द्वारा गठित अनुसूचित जनजाति महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को सर्वप्रथम सोलर लैम्प उपलब्ध कराया जाय । विकास आयुक्त ने निदेश दिया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, महिला विकास निगम से सूची प्राप्त कर ब्रेडा को उपलब्ध करायेगी एवं इसकी सूचना ऊर्जा विभाग को भी दी जायेगी ।

इसी प्रसंग में दिनांक 10.06.2010 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में थरूहट क्षेत्र विकास के संबंध में हुई बैठक की कार्यवाही की कंडिका—3 एवं 5 में निदेश दिया गया है कि स्वयं सहायता समूहों के परिवारों की सूची महिला विकास निगम द्वारा ब्रेडा को उपलब्ध करायी जाय।

इसी क्रम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग के पत्रांक 2388 दिनांक 25.08.2010 द्वारा निम्न प्रकार सूची प्राप्त हुई है :—

क्रमांक	महिला स्वयं सहायता समूह/ ग्रुप का नाम	स्वयं सहायता समूह की संख्या	सदस्यों की सं.
1.	थारू समुदाय, पश्चिमी चम्पारण	148	—
	कुल	148	—

अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण विभाग द्वारा चूँकि ब्रेडा को इस ग्रुप के लिए किसी नये दर से अनुदान दिए जाने की सूचना नहीं दी गई है। अतः पूर्व व्यवस्था के अनुरूप बी॰ पी॰ एल॰ सदस्यों को शत्—प्रतिशत अनुदान पर तथा ए॰ पी॰ एल॰ सदस्यों को 1500/—रू॰ के अनुदान दर पर सोलर लैन्टर्न के वितरण का प्रस्ताव है।

उल्लेखनीय है कि ऊर्जा विभाग के पत्रांक 1491 दिनांक 7.04.2010 द्वारा वित्तीय वर्ष 2010—11 के लिये योजना उद्व्यय राशि 2000 लाख रू॰ में से थरूहट क्षेत्र में सोलर लैन्टर्न के लिए 300.00 लाख एवं सोलर स्ट्रीट लाईट के लिए 1000.00 लाख कुल 1300.00 लाख का उद्व्यय प्राप्त हुआ था, जो निदेशानुसार बाद में 710.00 लाख रू॰ रह गया । वित्तीय वर्ष 2010—11 में इस योजना के अन्तर्गत योजना कार्यान्वयन 77.70 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई थी परन्तु राशि निर्गत नही

223
208

होने के कारण योजना का कार्यान्वयन नही किया जा सका।पुनः वित्तीय वर्ष 2011–12 मे दी जा रही है।

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग पत्रांक – 1138 दिनांक–16.5.2011 द्वारा महिला विकास निगम, बिहार द्वारा मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अन्तर्गत गठित थारू समूह की सदस्यों की प्रखंडवार निम्न प्रकार सूचि प्राप्त है।

क्रमांक	प्रखंड का नाम	सदस्यों की संख्या
1	रामनगर	38
2	बगहा –2	613
3	गौनाहा	1328
	कुल	1979

इस प्रसंग में प्रस्तावित योजना का विवरण निम्न प्रकार है:–

(क) उक्त योजना के अंतर्गत महिला विकास निगम द्वारा संसूचित थारू क्षेत्र में अवस्थित महिला स्वयं सहायता समूह को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाना है। सूची में सदस्यों की संख्या 1979 है इस प्रकार दो हजार संख्या मानते हुए योजना दी जा रही है। तद्नुसार कुल **2000सदस्यों को शतप्रतिशत अनुदान पर 2000x3000–60,00,000 रूपये व्यय का प्रस्ताव है**

(2) <u>सोलर लैन्टर्न</u> :– सोलर लैन्टर्न में 10 Wp सोलर मॉड्यूल्स, 7Ah बैटरी, 7w CFL युक्त सोलर लैन्टर्न प्रति दिन सूर्य की रोशनी से चार्ज होता है । इसके द्वारा प्रकाश देने की अवधि लगभग 4 घंटे हैं ।

(3) <u>सोलर लैन्टर्न के लिए एजेंसी का चयन</u> :–

सोलर लैन्टर्न का क्रय निविदा प्रक्रिया से उपकरण निर्माण करने वाली निर्धारित एजेंसी/अधिकृत मुख्य एजेंसी से किया जायेगा। इन एजेन्सियों के लिए यह आवश्यक होगा कि उन्हें इस कार्य का तकनीकी अनुभव प्राप्त हो तथा उन्हें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित विशिष्टियों (specification) का प्रमाण पत्र देना होगा। इस प्रसंग में एजेंसी को 2 वर्ष की वारन्टी अवधि की बैटरी एवं 10 वर्ष वारन्टी के मॉड्यूल तथा 5 वर्षो के अनुरक्षण आदि की शर्त्त पर क्रयादेश दिया जायेगा।

(4) <u>उपकरणों की रख–रखाव प्रक्रिया</u> :– उपकरणों के वारण्टी पिरियड तक रख–रखाव की जिम्मेदारी आपूर्त्तिकर्त्ता फर्म की होगी । सामान्य रख–रखाव के लिए फर्म लाभान्वित परिवारों का सामान्य प्रशिक्षण शत्र आयोजित करेगी जिससे वे बाद में भी इसे क्रियाशील रख सके। दो वर्षों के बाद अगले तीन वर्षों तक उपकरणों का खर्च वहन करने के आधार पर व्यापक रख–रखाव कराया जा सकता है।

(5) <u>वितरण प्रक्रिया</u> :–

(i) सोलर लैन्टर्न का वितरण महिला विकास निगम/जिला प्रशासन के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूह की सूची निगम से प्राप्त कर किया जायेगा।

(6) **मूल्यांकण एवं अनुश्रवण:–** योजना कार्यान्वयन के एक वर्ष बाद सरकारी/स्वतंत्र एजेंसी से मूल्यांकण एवं अनुश्रवण कराये जायेगे।

(7) बजट :– 2000 सोलर लैन्टर्न पर कुल लागत 2000x3000– 60,00,000.00 रु. शत–प्रतिशत अनुदान पर राज्य योजना से व्यय संभावित है।

प्राक्कलित इकाई राशि में परिवर्त्तन होने पर संख्या में तद्नुसार परिवर्त्तन किया जा सकता है।

अतः प्रस्ताव है कि उक्त योजना के अन्तर्गत थरूहट क्षेत्र में थारू महिला स्वयं सहायता समूह (मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अन्तर्गत गठित थारू समूह) के सदस्यों को सोलर लैन्टर्न वितरण की योजना पर रु. 60,00,000.00 (साठ लाख रूपये) के राज्य योजना से योजना–कार्यान्वयन की स्वीकृति दी जा सकती है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के साथ योजना प्राधिकृत समिति के समक्ष प्रस्ताव स्वीकृति हेतु उपस्थापित है।

निदेशक,
ब्रेडा, पटना